न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1072–एक/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 127/2007–08/अपील

.....

जगन्नाथ पिता फुन्दीलालजी
निवासी ग्राम पारदाखेड़ी तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–सत्यनारायण पिता प्रहल्लादसिंह बलाई
2–संतोषकुमार पिता प्रहल्लादसिंह बलाई
3–प्रहल्लादसिंह पिता फुन्दीलाल
4–गुरूबक्ष पिता फुन्दीलाल
5–दीपाबाई पुत्री फुन्दीलाल
निवासीगण ग्राम पारदाखेड़ी तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री कुवंरसिंह कुशवाह एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषकगण, आवेदक
श्री अरूण सिंघल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसील न्यायालय कालापीपल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पारदाखेडी स्थित भूमि कृषि खाता कमांक 68/2004–05 कुल किता 15 रकबा 14.818 हेक्टेयर में 1/6 हिस्सा, खाता कमांक 76/2004–05 कुल किता 3 कुल रकबा 4.096 हेक्टेयर में 1/4 हिस्सा, रकबा 1.950 हेक्टेयर की भूमिस्वामी मुलियाबाई बेवा फुन्दीलाल थी। मुलियाबाई उनकी दादी है, जिनका माह मई, 2005 में स्वर्गवास हो चुका है और मुलियाबाई द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, कार्यवाही के दौरान आवेदक सहित गुरूबक्ष एवं दीपाबाई द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उनके पिता फुन्दीलाल की दो पत्नियॉ देवबाई एवं मुलियाबाई थी, पिता व दोनों माताओं का स्वर्गवास हो चुका है। देवबाई का पुत्र जगन्नाथ व पुत्री केशरबाई है एवं मुलियाबाई के पुत्र प्रहल्लाद एवं गुरूबक्ष व पुत्री दीपूबाई है और चूँकि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है, इसलिये मुलियाबाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–7–2006 को आदेश पारित कर खाता कमांक 68 रकबा 14.816 हेक्टेयर एवं खाता कमांक 76 कुल किता 13 कुल रकबा 4.096 में हेक्टेयर से मृतक मुलियाबाई का नाम कम किया जाकर वारिसानों का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–12–2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–7–06 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सर्वप्रथम इस बात की जॉच की जावे कि मुलियाबाई द्वारा जो वसीयत पंजीकृत कराई गई है, वह उसके द्वारा स्वअर्जित संपत्ति है अथवा वह उसे उसके पति के मरने के बाद प्राप्त हुई है । यदि पति के मरने के बाद प्राप्त हुई है तो वारिसान अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही की जावे, जिसमें केशरबाई का नाम छोड दिया गया है, उसका नाम वारिसान के रूप में वादग्रस्त भूमि पर मृतक मुलियाबाई के वारिसान जगन्नाथ व प्रहल्लादसिंह एवं गुरूबक्ष पुत्र फुन्दीलाल एवं केशरबाई एवं दीपाबाई पुत्री फुन्दीलाल के नाम नामान्तरण आदेश पारित किया जावे और यदि मुलियाबाई के द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित संपत्ति है तो वसीयत के

आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जावे । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–5–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि वे वसीयत के संबंध में साक्षियों के प्रमाण लेकर यदि वसीयत विधिनुसार निष्पादित सिद्ध है तो वसीयत अनुसार गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है, जिसकी वसीयत करने का अधिकार मुलियाबाई को नहीं है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत करने का अधिकार मुलियाबाई को होने संबंधी निष्कर्ष निकालने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 एवं संहिता की धारा 164 के प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मृतक मुलियाबाई के सभी वारिसानों के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है कि इस बिन्दु की जॉच करा ले कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक संपत्ति है या स्वअर्जित संपत्ति। तदनुसार यदि भूमि पैतृक संपत्ति है तो वारिसाना नामान्तरण की कार्यवाही की जाये और यदि स्वअर्जित संपत्ति है तो वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जाये । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तित आदेश में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–10–09 को स्थगन आदेश पारित किया गया था । इसके

बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि जहॉ अवैधानिक कार्यवाही है, वहीं इस न्यायालय की अवमानना भी है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी फुन्दीलाल की मृत्यु उपरांत सम्पूर्ण भूमियॉ उनके वारिसान उभयपक्ष सहित मुलियाबाई को प्राप्त हुई है और मुलियाबाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत की गई है जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पैतृक होने के कारण वसीयत करने का अधिकार मुलियाबाई को नहीं होने संबंधी निष्कर्ष निकालने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किये जाने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि विधवा मुलियाबाई को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 एवं संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत वसीयत करने का अधिकार है, अतः वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित कर गुणदोष पर आदेश पारित करें । यह भी कहा गया कि पूर्व में मृतक मुलियाबाई के सभी वारिसानों को उनके हिस्से की भूमि प्राप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में मुलियाबाई की भूमि पर वारिसाना नामान्तरण करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–10–2009 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है और जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–9–2012, को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की जा चुकी है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 21–10–2009 को इस न्यायालय द्वारा अनावेदक के उपस्थित होने तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, तहसील न्यायालय की कार्यवाही नहीं रोकी गई थी, अतः तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में इस न्यायालय की अवमानना नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी मुलियाबाई के स्थान पर वारिसाना नामान्तरण इस आधार पर

स्वीकृत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है, परन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि क्या प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटवारा हो चुका है और मृतक मुलियाबाई को उसके नाम दर्ज भूमि हिस्से में प्राप्त हुई है अथवा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होकर उसके पति फुन्दीलाल की मृत्यु के उपरांत उसे भूमि सहखातेदार के रूप में प्राप्त हुई है, क्योंकि उपरोक्त स्थिति पर विचार करने पर ही प्रश्नाधीन भूमि पैतृक अथवा स्व–अर्जित होने का निष्कर्ष निकल सकता है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु उनके द्वारा तहसीलदार को यह निर्देश देने में अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई है कि तहसीलदार सर्वप्रथम इस बात की जॉच करते कि मुलियाबाई के द्वारा जो वसीयतनामा पंजीकृत कराया गया है वह उसके द्वारा स्वअर्जित संपत्ति है अथवा वह उसको उसके पति फुन्दीलाल के मरने के बाद प्राप्त हुई है । यदि पति फुन्दीलाल के मरने के बाद वह संपत्ति मुलियाबाई को प्राप्त हुई है तो वारिसान के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जावे, जिसमें कि केशरबाई का नाम छोड दिया गया है, उसका नाम वारिसान के रूप में वादग्रस्त भूमि मृतक मुलियाबाई के वारिसान जगन्नाथ, प्रहलाद, गुरूबक्ष पिता फुन्दीलाल एवं केशरबाई व दीपाबाई पुत्रियॉ फुन्दीलाल के नाम नामान्तरण का आदेश नियमानुसार पारित किया जावे और यदि मुलियाबाई द्वारा वादग्रस्त संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति है तो वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार की जावे, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को उपरोक्त निर्देश देने से उसके द्वारा प्रकरण का निराकरण विधि के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र रूप से करने में बाधा उत्पन्न होगी । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा बिना इस तथ्य की जॉच कराये कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक है अथवा स्वअर्जित, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर वसीयत के आधार पर प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण को देखने से यह स्थिति भी स्पष्ट होती है कि इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के आदेश

के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 1072–एक/2009 में दिनांक 21–10–2009 को यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं । इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21–10–2009 प्रभाव में रहते हुये तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–10–2009 को अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो जहॉ पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है, वहीं इस न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना कर की गई मनमानी कार्यवाही है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2009 भी निरस्त किये जाने योग्य है और चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश दिनांक 31–10–2009 की पुष्टि आदेश दिनांक 7–9–2012 से की गई है, इसलिये उक्त आदेश भी निरस्ती योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम इस तथ्य की विधि के प्रावधानों के अनुरूप जॉच करें कि स्वर्गीय मुलियाबाई के नाम दर्ज प्रश्नाधीन भूमि उसकी स्वअर्जित संपत्ति है अथवा पैतृक ? तदोपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का विधि के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर